



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2005/अग्रहायण 30, 1927

No. 518]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2005/AGRAHAYANA 30, 1927

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 729(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 है ;

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ;

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा

2. परिभाषाएं - इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) “अपमिश्रण” से मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल में अवैध रूप से या अशुद्धिपूर्ण रूप से किसी बाह्य पदार्थ का मिलाना अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप वह उत्पाद, भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्यांक आई एस 2796 और आई एस 1460, क्रमशः मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के लिए और ऐसी कोई अन्य अपेक्षा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है ;

(ख) “प्राधिकृत प्राधिकारी” से अभिप्रेत खंड 7 के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत एक अधिकारी से है ;

(ग) “उपभोक्ता” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी तेल कंपनी से या व्यौहारी से, जिसको किसी तेल कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया हो, उत्पाद क्रय करता है और उत्पाद का भंडार या उसका उपयोग अपने स्वयं के लिए करता है और इसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्ता भी है ;

(घ) “व्यौहारी” से, मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल तेल का क्रय, ग्रहण, भंडार और विक्रय करने के लिए चाहे वह किसी अन्य कारबार के सहयोजन में हो अथवा नहीं ; किसी तेल कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्ति कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी और अभिकर्ता भी है ;

(ङ) “उच्च वेग डीजल” से कोई हाइड्रोकार्बन तेल (जिसके अंतर्गत खनिज कोल्जा तेल और तारपीन अनुकल्प नहीं हैं) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं. आई एस 1460 की अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(च) “अनाचार” के अंतर्गत मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल की बाबत करने और लोप करने के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

- (i) अपमिश्रण,
- (ii) भूषण,
- (iii) स्टॉक अंतर,
- (iv) अप्राधिकृत विनिमय,
- (v) अप्राधिकृत क्रय,
- (vi) अप्राधिकृत विक्रय,
- (vii) अप्राधिकृत कब्जा,
- (viii) अतिप्रभार,
- (ix) विनिर्देशगत उत्पादों का विक्रय,
- (x) परिदान की कमी ;

(छ) “मोटर स्प्रिट” से ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन तेल, जिसके अंतर्गत कच्चा खनिज तेल नहीं है, अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं. आई एस 2796 की अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(ज) “तेल कंपनी” से इंडियन आइल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आई बी पी कं. लिमिटेड या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित अनुबंधों के अनुसार, सीधे उपभोक्ता या व्यौहारी को मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल के विपणन या विक्रय में लगी हुई है ;

- (झ) “पेट्रोलियम” का वहीं अर्थ है जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में है ;
- (ञ) “भूषण” से उत्पाद के परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी आधान से या उत्पाद के भंडारण के लिए प्रयुक्त किसी पात्र से उत्पाद का चुराना या चुराने का प्रयत्न करना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा आधान या पात्र को बिगाड़ने को कोई अप्राधिकृत प्रयत्न या कार्य भी है ;
- (ट) “उत्पाद” से मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल तेल अभिप्रेत है ;
- (ठ) “अनुसूची” से, इस आदेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ड) “स्टाक अंतर” से अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट स्टाकों में अनुज्ञेय अंतर के लिए सन्नियमों से परे अंतर अभिप्रेत है ;
- (ढ) “परिवाहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी तेल कंपनी, किसी व्यौहारी या किसी उपभोक्ता द्वारा मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल का परिवहन करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है और इसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिक्ता भी हैं ;
- (ण) “अप्राधिकृत विनिमय” से राज्य सरकार या तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन से किसी व्यौहारी या उपभोक्ता से किसी अन्य व्यौहारी या उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को उत्पादों का अंतरण या प्राप्ति अभिप्रेत है ;
- (त) “अप्राधिकृत क्रय” से तेल कंपनियों द्वारा प्राधिकृत स्रोतों से भिन्न स्रोतों से उत्पाद का क्रय अभिप्रेत है ;
- (थ) “अप्राधिकृत विक्रय” से राज्य सरकार या तेल कंपनियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन में या इस आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी व्यौहारी या उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य व्यौहारी या उपभोक्ता को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उत्पाद का विक्रय अभिप्रेत है ;
- (द) “अप्राधिकृत कब्जा” से इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल या किसी पेट्रोलियम उत्पाद या उसके मिश्रण का, संबंधित तेल कंपनी द्वारा जारी किए गए विधिमान्य विक्रय दस्तावेजों के बिना व्यौहारी या किसी व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन रखना, अभिप्रेत है ;

(ब) “अतिप्रभार” से किसी व्यौहारी द्वारा किसी ऐसी तेल कंपनी द्वारा जिससे व्यौहारी ने उत्पाद क्रय किया है, प्राधिकृत से उच्चतर कीमत/दर पर मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल का विक्रय करना अभिप्रेत है ;

(न) “अविनिर्देशगत उत्पाद का विक्रय” से किसी व्यौहारी द्वारा ऐसी क्वालिटी का मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल का विक्रय करना अभिप्रेत है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्या क्रमशः आई एस 2796 और आई एस 1460 के अनुरूप नहीं है ।

3. उत्पाद का प्रदाय और परिवहन :-

(1) प्रदाय स्थान से उत्पाद का परिवहन, परिवाहक द्वारा ऐसे किसी आधान या टैंक ट्रक में किया जाएगा जिसका, माप वजन प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित और परिदान दस्तावेजों द्वारा समर्थित शुद्ध अंश शोधन सहित उत्पाद ले जाने के लिए विस्फोटक प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और तेल कंपनी द्वारा उचित होना प्रमाणित किया गया है और उसे भंडारण या वितरण स्थान पर क्वालिटी और मात्रा दोनों की बाबत वैसी ही अवस्था में परिदत्त करेगा जो उसे मूल प्रदाय स्थान से परिदत्त किए गए थे ।

(2) परिवाहक यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पाद का परिवहन केवल ऐसे आधानों या टैंक ट्रकों में किया जाएगा जो समुचित रूप से सीलबंद और तालाबंद किए गए हों ।

(3) व्यौहारी या उपभोक्ता ऐसा आधान या टैंक ट्रक का जिसमें वह उत्पाद प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करेगा,-

(क) कि ऐसा आधान या टैंक ट्रक, जिसके अंतर्गत सील और ताला है, किसी भी रूप में कोई गड़बड़ नहीं की गई है ;

(ख) कि उत्पाद की मात्रा और क्वालिटी, तेल कंपनी द्वारा जारी किए गए परिदान दस्तावेजों के अनुसार है और उत्पाद की क्वालिटी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों संख्यांक आई एस 2796 और आई एस 1460, क्रमशः मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के लिए, अपेक्षाओं के अनुसार है । इस प्रयोजन के लिए तेल कंपनी उन परिदान दस्तावेजों में उत्पाद का घनत्व 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपदर्शित करेगी और व्यौहारी या उपभोक्ता, घनत्वों का एक अभिलेख बनाए रखेगा और उसके तथा टैंक ट्रक परिवाहक के द्वारा, सम्यक् रूप से संयुक्ततः हस्ताक्षरित, उत्पाद का नमूना रखेगा और ऐसे अन्य उपाय भी करेगा जो, तेल कंपनी द्वारा विहित किए जाए । परिदान दस्तावेजों में वर्णित घनत्व की तुलना में, टैंक ट्रक में उत्पाद के 15 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व में अंतर, ± 0.0030 से अनधिक होना चाहिए ।

- (4) ब्यौहारी या तेल कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति उत्पाद के विक्रय में नहीं लगेगा।
- (5) कोई व्यक्ति, मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य ईंधन से भिन्न कोई ऐसा उत्पाद या उसका विपणन, किसी रूप में, किसी नाम, ब्रांड या नामपद्धति के अधीन विक्रय या विक्रय का करार नहीं करेगा जो स्फुलिंग प्रज्वलन इंजनों या संपीडन प्रज्वलन इंजनों वाले किसी प्रकार के मोटरगाड़ी यानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या उसके लिए आशयित है।
- (6) कोई ब्यौहारी, परिवहक, उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रीति में कोई भी एक या अधिक अनाचार नहीं करेगा।
- (7) मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का परिदान या विक्रय तेल कंपनी के ब्यौहारी द्वारा केवल प्राधिकृत फुटकर पंप निकास केन्द्र से किया जाएगा।

4. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन पर निर्बन्धन:-

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का उपभोक्ताओं या व्यवहारियों को विपणन और विक्रय नहीं करेगा।

5. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन के लिए प्राधिकार अनुदान किया जाना:-

- (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का विपणन और विक्रय करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करना चाहता है, वह केन्द्रीय सरकार को अनुसूची-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन करेगा, जिसके साथ दस लाख रुपए की फीस या तो बैंक के चैक या मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में, वेतन और लेखा अधिकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पक्ष में, नई दिल्ली में संदेय, हो।
- (2) केन्द्रीय सरकार, आवेदन की संवीक्षा करने के पश्चात् यदि उसका, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यौरों के बारे में समाधान हो जाता है तो आवेदक से, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, किसी रकम के लिए बैंक गारंटी देने की अपेक्षा करने के पश्चात् मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन के प्राधिकार को, ऐसे प्राधिकार के निबन्धन और शर्तों को उपदर्शित करते हुए जारी किया जाएगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि खंड में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से संबंधित शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया गया है तो वह इस खंड के अधीन जारी प्राधिकार को रद्द कर सकेगी :

परन्तु किसी प्राधिकार को रद्द करने के पूर्व सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

6. इथानोल और बायो-डीजल से संमिश्रित मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का प्रदाय :-

केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा अजल इथानेल और/या बायो-डीजल के विनिर्दिष्ट परिमाण से संमिश्रित मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के, किसी राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में या भारत संग के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में, प्रदाय करने को, आज्ञापक बना सकेगी

7. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून कोई पुलिस अधिकारी अथवा विक्रय अधिकारी से अन्यून की पंक्ति का तेल कंपनी का कोई अधिकारी, इस आदेश उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के विचार से या स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश या तद्धीन किए गए किसी आदेश का पालन किया गया है या यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के सभी या किसी उपबंध का उल्लंघन किया जा रहा है या उल्लंघन होने वाला है :-

(क) किसी व्यौहारी, परिवाहक, उपभोक्ता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति जो ऐसे व्यौहारी या परिवाहक या उपभोक्ता का कर्मचारी या अभिकर्ता है, के किसी स्थान या परिसरों में प्रवेश और तलाशी ले सकेगा ;

(ख) किसी व्यक्ति या यान या पात्र को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसका, उत्पाद के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ।

(ग) ऐसे उत्पाद के नमूने ले सकेगा और ऐसे उत्पाद के किसी स्टॉक को और उस यान या पात्र या उपयोग में लाए गए किसी अन्य वाहन या ऐसे स्टॉक को वहन करने के लिए उपयोग में लाए गए संदिग्ध वाहन को अभिग्रहण कर सकेगा और तत्पश्चात् वह ऐसे स्टॉकों या मर्दों को इस प्रकार अभिग्रहण करने के पश्चात्, अधिकारिता रखने वाले कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन पेश किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार पेश करने के, लंबित रहने तक उनकी सुरक्षित अिक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ;

(घ) ऐसे किसी व्यौहारी, परिवाहक, उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति जिसके उस व्यौहारी, परिवाहक या उपभोक्ता के कर्मचारी या अभिकर्ता होने की आशंका है, की आवश्यक बहियों, रजिस्ट्रों, कोई अन्य अभिलेखों या दस्तावेजों का, ऐसी सहायता के साथ जो आवश्यक हो, निरीक्षण कर सकेगा, अभिग्रहण कर सकेगा और उपसारित कर सकेगा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी उपखंड (ग) और (घ) के अधीन उपबंधित अभिग्रहण करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और लेखबद्ध किए गए कारणों की एक प्रति, यथास्थिति व्यौहारी, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा ।

(3) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध यथाशक्य इस आदेश के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

8. उत्पाद का नमूना तैयार करना

(1) खंड 8 के अधीन प्राधिकृत, यह जांच करने के लिए कि उत्पाद का घनत्व और अन्य परिमितियां, भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्यांक आई एस 2796 और आई एस 1460, क्रमशः मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, यथास्थिति, टैंक, नोजल, धान या पात्र से साफ एल्युमिनियम आधानों में नमूने लेगा। जहां नमूने फुटकर निकास केन्द्र से लिए जाते हैं वहां, खंड 3(ख) के अनुसार उस व्यौहारी द्वारा रखा हुआ सुसंगत टैंक-ट्रक नमूना भी प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए संगृहीत किया जाएगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्येक मोटर स्प्रिट के एक लिटर के छः नमूने या प्रत्येक उच्च गति डीजल के एक लिटर के तीन नमूने लेगा। मोटर स्प्रिट के दो नमूने या उच्च गति डीजल का एक नमूना, व्यौहारी या परिवहनकर्ता या संबंधित व्यक्ति को, उनके परीक्षण या अन्वेषण पूरे होने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा में नमूने को परिरक्षित रखने के अनुदेश सहित पावती देगा। मोटर स्प्रिट के दो नमूने या उच्च वेग डीजल का एक नमूना संबंधित कंपनी या विभाग द्वारा रखे जाएंगे और शेष मोटर स्प्रिट के दो नमूने या उच्च वेग डीजल के एक नमूने का उपयोग प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए किया जाएगा ;

(3) नमूने के लेबल को उस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जिसने नमूना लिया है और व्यौहारी या परिवहनकर्ता या संबंधित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और नमूना लेबल पर, उत्पाद फुटकर निकास केन्द्र का नाम, नमूने की मात्रा, तारीख, प्राधिकृत अधिकारी का नाम, व्यौहारी या परिवहनकर्ता या संबंधित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के नाम के विषय में जानकारी अंतर्विष्ट होगी ;

(4) प्राधिकृत अधिकारी लिए गए उत्पाद के नमूने को, अनुसूची 3 में उल्लिखित किसी प्रयोगशाला को या अन्य किसी ऐसी प्रयोगशाला को सरकार द्वारा जब इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाए, यह जांच करने के विचार से कि उत्पाद का घनत्व और अन्य परिमितियां, भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्यांक आई एस 2796 और आई एस 1460 क्रमशः मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, विश्लेषण के लिए दस दिन के भीतर भेजेगा।

(5) उपखंड (4) में उल्लिखित प्रयोगशाला, प्राधिकृत अधिकारी को, प्रयोगशाला में नमूने की प्राप्ति के बीस दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देगा।

(6) प्राधिकृत अधिकारी, उस जांच परिणाम को, यथास्थिति व्यौहारी, परिवहनकर्ता या संबंधित व्यक्ति और तेल कंपनी को प्रयोगशाला से जांच परिणाम की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर समुचित कार्रवाई के लिए संसूचित करेगा।

9. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति,--

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, किसी व्योहारी, परिवहनकर्ता या उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह मोटर स्प्रिट या उच्च गति डीजल के भंडारण, विक्रय, परिवहन और व्ययन के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसे निदेशों के जारी होने पर, ऐसे व्योहारी, परिवहनकर्ता या उपभोक्ता या उनका पालन करने के लिए आबद्ध होंगे।

10. अध्यारोही प्रभाव, --

इस आदेश के उपबंधों का, इसके प्रारंभ से पूर्व किसी राज्य सरकार द्वारा या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी, केवल उन बातों के सिवाय जिन्हें इस प्रकार प्रारंभ होने के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अध्यारोही प्रभाव होगा।

अनुसूची 1
(खंड 2(ड) देखें)

अनुज्ञेय स्टाक अंतरभिन्नति से संबंधित मानकों के ब्यौरे

ऐसी स्थिति में जब कि निरीक्षण यह प्रमाणित करता है कि भूमिगत टैंकों में स्टाकों अंतर्गत अंतरभिन्नता टैंक स्टाक को ± 4 प्रतिशत से अधिक है तो भूमिगत टैंकों अंतर्गत स्टाकों के अंतरभिन्नता सामान्य प्रचालन स्तर से अधिक समझी जाती है :

(i) मोटर स्प्रिट अंतर्गत क्वथन/संभाल से संबंधित हानियां निम्नवत् --

0-600 किलोलिटर की वार्षिक औसत बिक्रियों पर 0.75 प्रतिशत
600 किलोलिटर से अधिक की वार्षिक बिक्रियों पर 0.60 प्रतिशत।

(ii) उच्च वेग डीजल के संबंध में संभाल हानियां निम्नवत् --

0-600 किलोलिटर की वार्षिक औसत बिक्रियों 0.25 प्रतिशत
600 किलोलिटर से अधिक या वार्षिक औसत बिक्रियों पर 0.20 प्रतिशत।

(मोटर स्प्रिट/ उच्च वेग डीजल के संबंध में संकुचन हानियां और तापमान अंतरभिन्नता भूतल गड्ढों जहां कहीं भी लागू हों, ध्यान में रखी जाएगी।)

अनुसूची II
[खंड 5(1) देखें]
आवेदन प्ररूप

(मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन का प्राधिकार जारी करने के लिए)

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001

- 1.0 आवेदक का नाम
- 2.0 फर्म की किस्म (जो लागू न हों उसे काट दें)
- 2.1 पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/ स्वत्वधारी फर्म/
अन्य
- 3.0 पता
- 3.1 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय
- 4.0 निदेशकों/ भागीदारों/ स्वत्वधारी के नाम, पते और टेलीफोन नंबर ।
- 5.0 नई और अमूर्ण परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं की पूर्ति अनुसूची के साथ किए गए और/या किए जाने के लिए पात्र क्रियाकलापों में प्रस्तावित विनिधान के ब्यौरे-

(i) नए आधारिक तेलशोधक कारखानों की स्थापना और/या विद्यमान तेलशोधक कारखानों का अपरिष्कृत तेल की प्राप्ति और परिवहन प्रसुविधाओं जैसी प्रसुविधाओं का विस्तार सहित ;

(ii) हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत कोयला संस्तर मैथेन और सहबद्ध सुविधाएं जैसे अपरिष्कृत तेल/प्राकृतिक गैस पाइप लाइन, अपरिष्कृत तेल और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र भी हैं, की खोज और उत्पाद ;

(iii) अपरिष्कृत तेल/एल एन जी टर्मिनल ;

(iv) प्राकृतिक गैस/पेट्रोलियम उत्पादों/एल.पी.जी. पाइप लाइनों सामान्य वाहक ;

(v) पर्यावरण से संबंधित मानकों को पूरा करने के लिए उत्पाद की क्वालिटी सुधार के लिए अतिरिक्त आस्तियों की स्थापना करने के लिए उपर्युक्त क्रियाकलापों में विनिधान ।

टिप्पण :- उपर्युक्त विनिर्दिष्टों से भिन्न क्रियाकलाप पात्र नहीं होंगे ।

6.0 नई और अपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ति के लिए उनकी पूर्ति की तारीख सहित पूरा होने का समय उपदर्शित किया जाए ।

7.0 विपणन की स्कीम का विवरण--

- (i) विपणन किए जाने वाले उत्पादों के प्रदाय का स्रोत ;
- (ii) स्थापित किए गए और स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टैंकेज और अन्य उपसंरचनाएं, उनकी धारिता सहित ;
- (iii) डिपो और फुटकर निकासों के लिए उत्पादों के परिवहन के साधन ;
- (iv) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित फुटकर निकासों की संख्या और अवस्थिति तथा उनके भंडारण तथा योजना क्षमता के ब्यौरे ;
- (v) विपणन स्कीम के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की कुल मात्रा और प्रकार ।

टिप्पण --उपर्युक्त के संबंध में ब्यौरे पृथकतः संलग्न किए जाएं ।

8.0 फुटकर सेवा बाध्यताओं और विपणन सेवा बाध्यताओं के संबंध में अनुपालन की रीति --

- (i) दूरस्थ क्षेत्रों/कम सेवा क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित फुटकर निकासों की संख्या ;
- (ii) दूरस्थ क्षेत्रों/कम सेवा क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित अन्य विपणन अवसंरचना ;
- (iii) विद्यमान विपणन कंपनियों सहित प्रस्तावित वाणिज्यिक करार, यदि कोई हो ;
- (iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।

2. सरकारी प्रयोगशालाएं

- (i) डायरेक्टर ऑफ एयरवर्दीनेस, नागर विमानन विभाग की प्रयोगशाला, बंगला II/III पूर्व, आर.के.पुरम, नई दिल्ली 110066 ;
- (ii) नेशनल टेस्ट हाउस. 11/ 1, जजेज् कोर्ट रोड, अलीपुर, कलकत्ता-700027 ;
- (iii) नेशनल फिजीकल प्रयोगशाला, पूसा, नई दिल्ली -110012 ;
- (iv) केमिकल टेस्टिंग और एनालिटिकल प्रयोगशाला, उद्योग' और वाणिज्य विभाग, तमिलनाडु सरकार, ग्वीडी ; और

3. रक्षा प्रयोगशालाएं

- (i) चीफ-कंट्रोलरेट ऑफ मेट्रियल्स, कंट्रोलरेट जनरल ऑफ स्टोर्स प्रयोगशाला, आईजीएसकानपुर, पीबी नं. 229, कानपुर ;
- (ii) इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टोर्स प्रयोगशाला (आईजीएसएल) डीजीआई कांप्लेक्स, चैन्नई-600114 ;
- (iii) इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टोर्स प्रयोगशाला, डी जी आई कांम्प्लेक्स हेस्टिंग्स, कलकत्ता-700022 ; और
- (iv) इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टोर्स प्रयोगशाला, डीजीआई कांप्लेक्स, विखरोली, मुंबई-400 083 ।

4. अन्य प्रयोगशालाएं

- (i) सेंद्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर
- (ii) फ्यूल टेस्टिंग प्रयोगशाला, सोसाइटी फार पेट्रोलियम प्रयोगशाला, बी-14, सेक्टर 62, नोयडा, यू.पी. ;
- (iii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून -248005 ;
- (iv) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्वीडी, चैन्नई ;
- (v) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हौजखास, नई दिल्ली ; (I)
- (vi) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पोवाई, मुंबई ;
- (vii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खडगपुर ;
- (viii) रीजनल रिसर्च प्रयोगशाला, उप्पल रोड, हैदराबाद-500007 ;
- (ix) रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कालेज, कलोल रोड, नागपुर 440013, महाराष्ट्र ; और
- (x) लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमरावती रोड, नागपुर-440010 महाराष्ट्र ।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी फारेंसिक प्रयोगशालाएं

[पत्र. सं. पी-11013/09/2003-प्रितान]
अध्यक्ष, न्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 19th December, 2005

G.S.R. 729(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, extent and commencement -

- (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005;
- (2) It extends to the whole of India;
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In this Order, unless the context otherwise requires,-

- (a) "adulteration" means the introduction of any foreign substance into motor spirit or high speed diesel illegally or unauthorisedly with the result that the product does not conform to the requirements of the Bureau of Indian Standards specifications number IS 2796 and IS 1460 for motor spirit and high speed diesel respectively or any other requirement notified by the Central Government from time to time;
- (b) "authorized officer" means an officer authorized under the provisions of clause 7;
- (c) "consumer" means a person who purchases product from an oil company or a dealer appointed by an oil company and stores or utilises the product for his own consumption and include his representatives, employees and agents;
- (d) "dealer" means a person duly appointed by an oil company to purchase, receive, store and sell motor spirit and high speed diesel oil whether or not in conjunction with any other business and shall include his representatives, employees and agents;

(e) "high speed diesel" means any hydrocarbon oil, excluding mineral colza oil and turpentine substitute, which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification number IS-1460;

(f) "malpractices" shall include the following acts of omission and commission in respect of Motor Spirit and High Speed Diesel :-

- (i) Adulteration,
- (ii) Pilferage,
- (iii) stock variation,
- (iv) unauthorised exchange,
- (v) unauthorised purchase,
- (vi) unauthorised sale,
- (vii) unauthorised possession,
- (viii) over-charging,
- (ix) sale of off-specification product, and
- (x) short delivery;

(g) "motor spirit" means any hydrocarbon oil, excluding crude mineral oil, which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification number IS 2796;

(h) "oil company" means the Indian Oil Corporation Limited, the Hindustan Petroleum Corporation Limited, the Bharat Petroleum Corporation Limited, the IBP Co. Limited or any person, firm or company duly authorized by the Central Government who is engaged in marketing and sale of motor spirit or high speed diesel directly to consumers or dealers in accordance with the stipulations laid down by the Central Government from time to time;

(i) "petroleum" shall have the meaning assigned to it in the Petroleum Act, 1934;

(j) "pilferage" means stealing or attempt to steal product from a container used for transportation of the product or from a receptacle used for storage of the product and shall include any unauthorised attempt or act of tampering with such container or receptacle;

(k) "product" means motor spirit and high speed diesel;

- (l) "Schedule" means The Schedule appended to this Order;
- (m) "stock variation" means variation beyond the norms for permissible variation in stocks as specified in Schedule I;
- (n) "transporter" means a person duly authorised by an oil company, a dealer or a consumer, to transport motor spirit or high speed diesel and shall include his representatives, employees and agents;
- (o) "unauthorised exchange" means transfer or receipt of the product from a dealer or consumer to another dealer or consumer or to any other person in contravention of the directives issued by the State Government or the oil companies;
- (p) "unauthorized purchase" means purchase of the product from sources other than those authorized by the oil companies;
- (q) "unauthorised sale" means sale of product by a dealer or consumer to another dealer or consumer or to any other person in contravention of the directive issued for the purpose by the State Government or the oil companies or in contravention of any provision of this order ;
- (r) "unauthorized possession" means keeping of motor spirit or high speed diesel or any petroleum product or its mixture, in contravention of the provisions of this order, under the control of dealer or any other person without valid sales documents issued by the concerned oil company;
- (s) "over charging" means sale of motor spirit or high speed diesel by a dealer at a price/rate higher than that authorized by an oil company from which the dealer has purchased the product;
- (t) "sale of off specification product" means sale of motor spirit or high speed diesel by dealer of quality not conforming to Bureau of Indian Standards specifications number IS 2796 and IS 1460 for motor spirit and high speed diesel respectively.

3. Product supply and transportation : —

- (1) The product from the supply point shall be transported by the transporter in a container or tank-truck certified to be fit by the explosives authorities, transport authorities and oil company to carry the product with accurate calibration as certified by the weights and measures authorities and supported by delivery documents and deliver the same to the storage or dispensing point in the same condition as delivered to him by the originating supply point both in respect of quality and quantity.
- (2) The transporter shall ensure that the product is transported **only** in containers or tank truck which is properly sealed and locked.
- (3) The dealer or consumer shall inspect such container or tank-truck in which he receives the product to ensure, -
 - (a) that the container or tank truck, including the seal and lock is not in any manner tampered with;
 - (b) that the quantity and quality of the product is as per delivery documents issued by the oil company and the quality of the product conforms to the requirements of the Bureau of Indian Standard specifications number IS 2796 and IS 1460 for motor spirit and high speed diesel respectively. For this purpose, the oil company shall indicate density of the product at 15 degrees centigrade in the delivery documents and the dealer or consumer shall maintain a record of densities and keep samples of product duly signed jointly by him and the driver of tank truck and also take other measures as prescribed by the oil company. The variation in density at 15 degrees centigrade of the product in tank truck compared to the density mentioned in delivery documents should not be more than ± 0.0030 ;
- (4) No person other than the dealer or oil company shall be engaged in the business of selling product;
- (5) No person shall sell or agree to sell any petroleum product or its mixture other than motor spirit or high speed diesel or any other fuel authorised by the

Central Government in any form, under any name, brand or nomenclature, which can be and is meant to be used as fuel in any type of automobile vehicles fitted with spark ignition engines or compression ignition engines;

(6) No dealer, transporter, consignor or any other person shall indulge in any manner in any one or more of the malpractices.

(7) The delivery or sale of motor spirit and high speed diesel shall be made by a dealer of oil company only from authorised retail pump outlet;

4. Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel-

No person, other than those authorized by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.

5. Grant of authorisation to market motor spirit and high speed diesel-

(1) Whosoever desires to secure authorization to market and sell motor spirit and high speed diesel shall submit an application to the Central Government as per the form given in Schedule II alongwith a fee of rupees tens lacs either by way of banker's cheque or demand draft in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas payable at New Delhi.

(2) After scrutiny of the application, the Central Government shall, if it is satisfied with the details furnished by the applicant, after requiring the applicant to furnish bank guarantee for an amount specified by the Government, issue authorization to market motor spirit and high speed diesel indicating the terms and conditions of such authorization.

(3) The Central Government, if is satisfied that any of the conditions relating to the authorization as specified in clause have been violated, may cancel the authorization issued under this clause :

Provided that before cancellation of the authorization shall be afforded an opportunity of being heard .

6. Supply of motor spirit and high speed diesel blended with ethanol and bio-diesel -

The Central Government may by an order , make it mandatory to supply motor spirit and high speed diesel blended with a specified quantity of anhydrous

ethanol and/or bio-diesel in the whole or any part of the territory of a State or whole of the territory of the Indian Union.

7. Power of search and seizure -

(1) Any Gazetted officer of the Central Government or a State Government or any police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police duly authorised, by general or special order of the Central Government or a State Government, as the case may be, or any officer of the oil company, not below the rank of sales officer, may, with a view to securing compliance with the provisions of this Order, or for the purpose of satisfying himself that this Order or any order made there under has been complied with or there is reason to believe that all or any of the provisions of this Order have been and are being or are about to be contravened.-

(a) enter and search any place or premises of a dealer, transporter, consumer or any other person who is an employee or agent of such dealer or transporter or consumer,

(b) stop and search any person or vehicle or receptacle used or intended to be used for movement of the product;

(c) take samples of the product and seize any of the stocks of the product and the vehicle or receptacle or any other conveyance used or suspected to be used for carrying such stocks and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of stocks or items so seized before the Collector or District Magistrate having jurisdiction under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 and for their safe custody pending such production;

(d) inspect, seize and remove with, such aid or assistance as may be necessary, books, registers, any other records or documents of the dealer, transporter, consumer or any other person suspected to be an employee or agent of the dealer, transporter or consumer;

(2) While exercising the power of seizure provided under sub-clauses (c) and (d) above, the authorised officer shall record in writing the reasons for doing

so and a copy of such recording shall be provided to the dealer, transporter, consumer or any other concerned person, as the case may be.

(3) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seizures under this Order.

8. Sampling of Product

(1) The authorised under clause 7 shall draw the sample from the tank, nozzle, vehicle or receptacle, as the case may be, in clean aluminum containers, to check whether density and other parameters of the product conform to the requirements of Bureau of Indian Standard specifications number IS 2796 and IS 1460 for motor spirit and high speed diesel respectively. Where samples are drawn from retail outlet, the relevant tank-truck sample retained by the dealer as per clause 3 (b) would also be collected for laboratory analysis.

(2) The authorized officer shall take and seal six samples of 1 litre each of the motor spirit or three samples of 1 litre each of the high speed diesel. Two samples of motor spirit or one of high speed diesel would be given to the dealer or transporter or concerned person under acknowledgement with instruction to preserve the sample in his safe custody till the testing or investigations are completed. Two samples of Motor Spirit or one of High Speed Diesel shall be kept by the concerned oil company or department and the remaining two samples of Motor Spirit or one of High Speed Diesel would be used for laboratory analysis;

(3) The sample label shall be jointly signed by the authorised officer who has drawn the sample, and the dealer or transporter or concerned person or his representative and the sample label shall contain information as regards the product, name of retail outlet, quantity of sample, date, name of the authorized officer, name of the dealer or transporter or concerned person or his representative;

(4) The authorised officer shall forward the sample of the product taken within ten days to any of the laboratories mentioned in Schedule III or to any other such laboratory when it may be notified by the Government in the Official Gazette for this purpose, for analysing with a view to checking whether the density and other parameters of the product conform to the requirements of Bureau of Indian Standard specifications number IS 2796 and IS 1460 for motor spirit and high speed diesel respectively.

(5) The laboratory mentioned in sub-clause (4) shall furnish the test report to the authorised officer within twenty days of receipt of sample at the laboratory.

(6) The authorised officer shall communicate the test result to the dealer or transporter or concerned person and the oil company, as the case may be, within five days of receipt of test results from the laboratory for appropriate action.

9. Power of Central Governments to issue directions-

The Central Government may, from time to time, by a general or special order issue to any dealer, transporter or consumer or any other person, such directions as it considers necessary regarding storage, sale, transportation and disposal of motor spirit or high speed diesel and upon the issue of such directions, such dealer, transporter or consumer shall be bound to comply therewith.

10. Overriding effect -

The provisions of this Order shall have overriding effect notwithstanding anything to the contrary contained in any order made by a State Government or by an officer of such State Government before the commencement of this order except as respects anything done or omitted to be done there under before such commencement.

SCHEDULE I
(see clause 2(m))

Details of norms for permissible stock variation

Variation in stocks in underground tanks is considered to be beyond normal operation level when the inspection establishes that the variation in stocks in the underground tanks is beyond +/- 4% of tank stock over and above :

(i) Evaporation/handling losses in Motor Spirit as follows –

0.75% on annual average sales of 0 – 600 kilolitres
0.60% on annual average sales of above 600 kilolitres.

(ii) Handling losses in High Speed Diesel as follows –

0.25% on annual average sales of 0 – 600 kilolitres
0.20% on annual average sales of above 600 kilolitres.

(Shrinkage losses and temperature variation allowance quantities on Motor Spirit/High Speed Diesel to be taken into account wherever the same are applicable).

SCHEDULE II
[see clause 5(1)]

Application form

(for issue of authorization to market Motor Spirit and High Speed Diesel)

To,

The Joint Secretary,
Ministry of Petroleum and Natural Gas,
Government of India, Shastri Bhawan,
New Delhi-110001

1.0 Name of applicant

2.0 Type of firm(strike out whichever is not applicable)

2.1 Public Limited Company/Private Limited Company/Partnership
firm/Proprietorship firm/Others

3.0 Address

3.1 Registered office

4.0 Names, addresses, telephone numbers of Directors/Partners/Proprietor.

5.0 Details of investment made and/or proposed to be made in eligible activities along with completion schedule of the project for new and incomplete projects -

- (i) setting up new grass root refineries and/or expansion of the existing refineries along with facilities like crude oil receipt and transportation facilities.
- (ii) exploration and production of hydrocarbons including coal bed methane, and associated facilities like crude oil/natural gas pipelines, crude oil and natural gas processing plants.
- (iii) terminals for crude oil/LNG.
- (iv) common carrier natural gas/petroleum products/LPG pipelines;
- (v) investment in the above activities for setting up additional assets for improvement in quality of product to meet environmentally related norms.

Note:- The activities other than those specified above would not be eligible.

6.0 Time for the completion of new and incomplete projects to be indicated with completion date.

7.0 Details of scheme of marketing -

- (i) the source of supply of products to be marketed;
- (ii) tankage and other infrastructure established/proposed to be established along with their capacity;
- (iii) means of transportation of products to depots and to retail outlets;
- (iv) the number and locations of retail outlets proposed to be established and details of their storage and dispensing capacity;
- (v) the total quantum and type of products to be covered under the marketing scheme.

Note:- Details on the above may be separately attached.

8.0 The mode of compliance relating to retail service obligations and marketing service obligations.

- (i) number of retail outlets proposed to be set up in remote areas/low service areas;

- (ii) other marketing infrastructure proposed to be set up in remote areas/low service areas;
- (iii) commercial agreements proposed, if any, with the existing marketing companies.
- (iv) Others (please specify)

9. Details of application fee paid.

10. DECLARATION

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief and the information as annexures and statements accompanying this application are correct, complete and truly stated and if any statement made herein is found to be incorrect, I shall be liable for action under the provisions of law.

Date: _____

(Signature)

Name: _____

Designation: _____

SCHEDULE III

See Clause 8(4)

Laboratories for testing of Petroleum Product Samples

1. Marketing and Refinery Laboratories of Oil Companies

- (i) All the Marketing (including Mobile Laboratories) and Refinery Laboratories of Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Indian Oil Corporation Limited and IBP Co. Limited;
- (ii) Bongaigaon Oil Refinery Ltd., Refinery Laboratory, P.O. New Bongaigaon, dist. Kokrajhar, Assam;
- (iii) Chennai Petroleum Corpn. Ltd., Refinery Laboratory, Manali, Chennai – 600 019 Tamil Nadu;
- (iv) Kochi Refinery Ltd., Refinery Laboratory, Post Ambalamugal, Kochi – 682302, Kerala;
- (v) Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Refinery Laboratory, Kuthethoor, P.O. Katipalla, Moodapadav, P.B. No: 2, Mangalore 574 149, Karnataka;
- (vi) Numaligarh Refinery Limited, Refinery Laboratory, Numaligarh, Assam; and
- (vii) Reliance Petroleum Ltd., Refinery Laboratory, Moti Khavdi (Vill), Digvijayagram (PO) Jamnagar (Dist) – 361 140, Gujarat.

2. Government Laboratories

- (i) Director of Airworthiness, Civil Aviation Deptt. Laboratory, Block II/III East, R.K. Puram, New Delhi 110 066;
- (ii) National Test House, 11/1, Judges Court Road, Alipore, Calcutta-700 027;
- (iii) National Physical Laboratory, Pusa, New Delhi-110 012;
- (iv) Chemical Testing and Analytical Laboratory, Industries and Commerce Department, Government of Tamil Nadu, Guindy; and

3. Defence Laboratories

- (i) Chief Controlrate of Materials, Controlrate General of Stores Laboratory, IGS Kanpur, P.B. No. 229, Kanpur;
- (ii) Inspectorate General of Stores Laboratory (I.G.S.L.), DGI Complex, Chennai –600 114;
- (iii) Inspectorate General of Stores Laboratory, DGI Complex, Hastings, Calcutta – 700 022; and
- (iv) Inspectorate General of Stores Laboratory, DGI Complex, Vikhroli, Mumbai – 400 083.

4. Other Laboratories

- (i) Central Power Research Institute, Bangalore
- (ii) Fuel Testing Laboratory, Society for Petroleum Laboratory, B-14, Sector 62, Noida, U.P.;
- (iii) Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun 248 005;
- (iv) Indian Institute of Technology, Guindy, Chennai;
- (v) Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi;
- (vi) Indian Institute of Technology, Powai, Mumbai;
- (vii) Indian Institute of Technology, Kharagpur;
- (viii) Regional Research Laboratory, Uppal Road, Hyderabad – 500 007;
- (ix) Ramdev Baba Engineering College, Kalol Road, Nagpur 440 013, Maharashtra; and
- (x) Lakshmi Narayan Institute of Technology, Amravati Road, Nagpur 440 010 Maharashtra.

5. All Forensic Laboratories in the States/Union Territories

[F.No. P-11013/09/2003-Dist.]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.